न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2020

प्रविष्टि दिनांक 15.01.2020

कालू पुत्र सुवा जाति मीना निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक

--रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22.10.2019 मिसल नम्बर 369/2019

उपस्थिति : (1) श्री देवी प्रकाश तिवाडी,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक 09.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04 है0 एंव खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम गंगाली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर रास्ता अवरूध कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 500/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना [illegible] पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट [illegible] उक्त भूमि पर वर्तमान मे कोई कब्जा नही है ना ही पूर्व मे कोई कब्जा किया था [illegible] पटवारी हल्का ने बिना कब्जे के ही अपीलांट के विरूध अतिक्रमण की रिपोर्ट [illegible] पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

हल्का द्वारा दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा नही होना अंकित कया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 636 रकबा 0.04 है0 एंव खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बनाकर रास्ता अवरूध करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयान से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से हरिओम मीणा की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 636 रकबा 0.04 है0 एंव खसरा नम्बर 643 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिकमण कर बाडा बनाकर रास्ता अवरूध कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 272/2018 निर्णय दिनांक 26.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested